आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2018 (1) पेज 582–588

जानकी देवी और अन्य बनाम राजेश कुमार और अन्य (न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल)

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल के समक्ष.

जानकी देवी और अन्य – याचिकाकर्ता

बनाम

राजेश कुमार और अन्य – प्रतिवादी

एफएओ No.5052 / 2015

19 मार्च, 2018

मोटर वाहन अधिनियम, 1988–S.147–कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923–अनुभाग 4– मृतक निर्माण कंपनी में राजमिस्त्री के रूप काम करता था – निर्माण सामग्री के संबंध में उपयोग किया जाने वाला ट्रक और एक दुर्घटना का शिकार हो गया – न्यायाधिकरण ने मृत व्यक्ति को एक अनावश्यक यात्री माना और बीमा कंपनी को दोषमुक्त कर दिया – यह माना कि मालिक–निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाला राजमिस्त्री संचालन के लिए नियोजित चालक, कंडक्टर, क्लीनर शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा – हालांकि, अनुभाग 147 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत रोजगार देयता के दौरान वाहन में ले जाया जा रहा है तो उसे बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा – भुगतान के लिए उत्तरदायी बीमा कंपनी – मुआवजा का मूल्यांकन कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार किया गया ।

प्राथमिक मुद्दा जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि "क्या मालिक–निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाला एक राजमिस्त्री संचालन के लिए नियोजित ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर शब्दों की श्रेणी में आएगा? ”

(पैरा 11)

आगे अभिनिर्धारित किया कि, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, स्वर्गीय श्री. बच्चू लाल उनमें से किसी में भी नहीं आएगा । इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री. बच्चू लाल को राजमिस्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था जैसा कि अपीलकर्ता – निर्माण कंपनी के प्रबंधक श्री K.M.Garg ने स्वीकार किया था। । हालांकि, श्री K.M.Garg ने कहीं भी यह नहीं कहा कि वह ट्रक (विचाराधीन वाहन) पर संचालन के लिए कार्यरत था।

(पैरा 12)

आगे माना जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुभाग 147 का पहला प्रावधान दावेदारों के बचाव में आता है। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी कर्मचारी को रोजगार के दौरान वाहन में ले जाया जा रहा है, तो कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 (अब कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के रूप में पुनः नामित) के तहत उत्पन्न होने वाली देयता बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की जाएगी। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान मामला मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 का प्रावधान पहली के अनुभाग 'ग (ii) (i) में आएगा ।

(पैरा 14)

आगे कहा कि चूंकि मुआवजे का आकलन कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, 1923 (जिसे पहले कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के रूप में जाना जाता था) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है, इसलिए मृतक कर्मचारी के मासिक वेतन का 50 प्रतिशत प्रासंगिक कारक से गुणा किया जाना है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की अनुभाग 4 के अनुसार, मृतक की उम्र को देखते हुए, प्रासंगिक कारक 207.98 होगा।अतः देय क्षतिपूर्ति Rs.3500x 207.98= 7,27,930/– तक होगी।

(पैरा 16)

विक्रम बाली, अधिवक्ता,

अपीलार्थियों के लिए

(एफ. ए. ओ. No.5052/2015 में)

और प्रतिवादी Nos.2 से 5

(एफ. ए. ओ. No.1550/2016 में)

संजय जैन, अधिवक्ता,

अपीलार्थियों के लिए

(एफ. ए. ओ. No.1550/2016 में) और प्रतिवादी संख्या के लिए।1 और 2

(एफ. ए. ओ. No.5052/2015 में) पॉल एस. सैनी, अधिवक्ता, प्रतिवादी नं.3

(एफ. ए. ओ. No.1550/2016 में) और अपीलार्थी के लिए सं.2

(एफ. ए. ओ. No.5052/2015 में)

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल।

(1) यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका से उत्पन्न 2015 के एफएओ No.5052 और 2016 के एफएओ No.1550 का निपटारा करेगा।

(2) 2016 का एफ. ए. ओ. No.1550 वाहन के मालिक द्वारा दायर किया गया है, जबकि 2015 का एफ. ए. ओ. No.5052 दावेदारों द्वारा दायर किया गया है।

(3) मालिक द्वारा दायर अपील 694 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ है, हालांकि, आवेदन में अनुरोध किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार के खिलाफ दावेदारों द्वारा दायर अपील 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) एक ही दावे के मामले से उत्पन्न होने वाला मामला लंबित है, अपील दायर करने में 694 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

(4) 2016 के एफ. ए. ओ. No.1550 में अपीलकर्ता–निर्माण कंपनी के साथ काम करने वाले एक राजमिस्त्री बच्चू लाल की निर्माण कंपनी के स्वामित्व वाले ट्रक में यात्रा करते समय 15.04.2011 को एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।यह दलील दी गई है कि ट्रक निर्माण सामग्री के संबंध में बरवाला गया था और वापसी यात्रा पर लगभग 9 बजे जब वे तुम्बी गांव के पास पहुंचे तो एक जंगली जानवर सड़क पर आया और दुर्घटना से बचने के लिए चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क के नीचे पेड़ों से टकरा गया। स्वर्गीय श्री. बच्चू लाल की मौके पर ही मौत हो गई।बिलासपुर पुलिस स्टेशन में 16.04.2011 पर एक दैनिक डायरी रिपोर्ट दर्ज की गई थी।दावेदारों, यानी विधवा, नाबालिग बेटी और माता–पिता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुभाग 166 के तहत दावा याचिका दायर की।यह दावा किया गया था कि स्वर्गीय श्री. बच्चू लाल निर्माण

कंपनी में राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था और 7,000/– रुपये प्रति माह कमा रहा था। Rs.10,00,000/– के मुआवजे का दावा किया गया था।

(5) चालक और मालिक ने संयुक्त लिखित जवाबदावा दायर किया और अपील पर विचार करने बारे और अदालत से वास्तविक तथ्यों को छिपाने के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियां लीं। याचिका में किए गए सभी दावे योग्यता के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया

(6) बीमा कंपनी ने लिखित जवाबदावा दायर किया जिसमें कहा गया कि दुर्घटना संयोग से हुई और प्रतिवादी नं1–चालक की कोई गलती नहीं थी। यह आगे दलील दी गई कि विचाराधीन डी. डी. आर. को गलत तथ्यों पर दर्ज किया गया था और दावा याचिका प्रतिवादी नं.1 और 2 के साथ मिलीभगत से डाला गया था.

(7) माननीय न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को मृतक को विचाराधीन ट्रक में एक अनावश्यक यात्री मानते हुए दोषमुक्त कर दिया। क्षतिपूर्ति का आकलन Rs.12,47,599/– किया गया था और निर्माण कंपनी और ट्रक के मालिक को संयुक्त रूप से और 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने के लिए अलग–अलग उत्तरदायी ठहराया गया था।

(8) 2016 के एफ. ए. ओ. No.1550 में अपीलार्थी–निर्माण कंपनी के माननीय वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी–कंपनी ने एक मानक वाणिज्यिक पैकेज नीति द्वारा वाहन का बीमा कराया था।माननीय वकील ने अदालत का ध्यान पॉलिसी की प्रति और कवर ध्यान दें की ओर आकर्षित किया है, जो कि Ex.R–4 और Ex.R–5 हैं, यह दावा करने के लिए कि चालक को छोड़कर, 2 यात्रियों का बीमा किया गया था।उन्होंने आगे पॉलिसी अनुसूची और बीमा प्रमाणपत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो रिकॉर्ड करता है कि संचालन के लिए नियोजित वेतनभोगी चालक, कंडक्टर, क्लीनर को कानूनी दायित्व कवर किया गया है। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि बीमा कंपनी को गलत तरीके से दोषमुक्त कर दिया गया है।

(9) दूसरी ओर, बीमा कंपनी के माननीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मृतक बच्चू लाल एक राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहे थे और इसलिए, उन्हें संचालन के लिए नियोजित चालक, कंडक्टर या क्लीनर की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यह दावेदारों का मामला नहीं है कि मृतक ट्रक (विचाराधीन वाहन) पर काम करने के लिए अधिकृत था। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि विद्वत न्यायाधिकरण ने सही निर्णय दिया है कि मृतक बच्चू लाल केवल एक अनावश्यक यात्री थे और इसलिए, पालिसी के दायरे में नहीं आते थे।

(10) दूसरी ओर, 2015 के एफ. ए. ओ. सं. 5052 में अपीलार्थियों के माननीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि माननीय न्यायालय ने केवल 30 प्रतिशत जोड़कर भविष्य की विवरणिका के लिए आय में वृद्धि की है, जबकि संविधान पीठ द्वारा राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य, (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.25590/2014, निर्णय दिनांक 31.10.2017) के अनुसार यह 40 प्रतिशत पर तय की गई । उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक शीर्षों के तहत, Rs.70,000/– को मुआवजा करने की आवश्यकता थी।

(11) प्राथमिक मुद्दा जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है वह यह है कि "क्या मालिक–निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाला एक राजमिस्त्री संचालन के लिए नियोजित ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर शब्दों के अन्तर्गत में आएगा? ”

(12) इस न्यायालय की सुविचारित राय में, स्वर्गीय श्री. बच्चू लाल उनमें से किसी में भी नहीं आएंगे । इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री. बच्चू लाल को राजमिस्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था जैसा कि श्री K.M.Garg, अपीलार्थी–निर्माण कंपनी के प्रबंधक ने स्वीकार किया था। हालांकि, श्री K.M.Garg ने कहीं भी यह नहीं कहा कि वह ट्रक (विचाराधीन वाहन) पर संचालन के लिए कार्यरत था।

(13) वर्तमान मामले में, दुर्घटना 15.04.2011 पर हुई थी।

अधिनियम की अनुभाग 147 निम्नानुसार हैः–

147. नीतियों की आवश्यकताएँ और दायित्व की सीमाएँ।

1. इस अध्याय की आवश्यकताओं का पालन आदेश के लिए, बीमा पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो

(क) एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है जो एक अधिकृत बीमाकर्ता है; और

(ख) उप–धारा (2) में निर्दिष्ट सीमा तक पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों का बीमा करता है।

i. किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी दायित्व के खिलाफ, जिसमें माल का मालिक या वाहन में ले जाए गए उसके अधिकृत प्रतिनिधि या किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान शामिल है;

ii. सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उसके कारण सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी भी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के खिलाफः

बशर्ते कि किसी नीति की आवश्यकता नहीं होगी –

i. पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति के कर्मचारी की मृत्यु से और उसके नियोजन के दौरान उत्पन्न होने वाली मृत्यु के संबंध में या ऐसे कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के दौरान और उसके कारण उत्पन्न होने वाली शारीरिक चोट के संबंध में दायित्व को कवर करने के लिए, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व के अलावा, ऐसे किसी कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में –

ए. वाहन चलाने में लगे हुए, या

बी. यदि यह एक सार्वजनिक सेवा वाहन है जो वाहन के संचालक के रूप में या वाहन पर टिकट की जांच करने में लगा हुआ है, या

सी. यदि यह एक माल गाड़ी है, जिसे वाहन में ले जाया जा रहा है, या

डी. किसी भी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए।

स्पष्टीकरण –– संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति को नुकसान सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न हुआ माना जाएगा, इसके बावजूद कि जो व्यक्ति मृत या घायल है या जो संपत्ति क्षतिग्रस्त है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं थी, यदि वह कार्य या चूक जिसके कारण दुर्घटना हुई वह सार्वजनिक स्थान पर हुई थी।

2. उप–धारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट बीमा पॉलिसी, निम्नलिखित सीमाओं तक किसी भी दुर्घटना के संबंध में किए गए किसी भी दायित्व को कवर करेगी, अर्थात्ः

ए. अनुभाग (बी) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, वहन की गई देयता की राशि;

बी. किसी तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति को नुकसान के संबंध में, छह हजार रुपये की सीमाः

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले किसी भी सीमित दायित्व के साथ जारी और लागू बीमा की कोई भी पॉलिसी, ऐसी शुरुआत के बाद चार महीने की अवधि के लिए या ऐसी पॉलिसी की समाप्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, प्रभावी बनी रहेगी।

3. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई पॉलिसी तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसके द्वारा पॉलिसी लागू की जाती है, निर्धारित प्रपत्र में बीमा का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है और जिसमें किसी भी शर्त के निर्धारित विवरण होते हैं जिसके अधीन पॉलिसी जारी की जाती है और किसी अन्य निर्धारित मामले के; और विभिन्न मामलों में विभिन्न प्रपत्र, विवरण और मामले निर्धारित किए जा सकते हैं।

4. जहां इस अध्याय के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बीमाकर्ता द्वारा जारी आवरण नोट का निर्धारित समय के भीतर बीमा पॉलिसी द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो बीमाकर्ता, आवरण नोट की वैधता की अवधि समाप्त होने के सात दिनों के भीतर, उस पंजीकरण प्राधिकरण को तथ्य सूचित करेगा जिसके रिकॉर्ड में आवरण नोट में संबधित वाहन पंजीकृत किया गया है या ऐसे अन्य प्राधिकरण को जो राज्य सरकार निर्धारित करे।

5. तत्काल लागू किसी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अनुभाग के तहत बीमा पॉलिसी जारी करने वाला बीमाकर्ता किसी भी दायित्व के संबंध में पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे पॉलिसी उस व्यक्ति या व्यक्तियों के उन वर्गों के मामले में कवर करने का इरादा रखती है।

(14) उपरोक्त अनुभाग को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह प्रावधान मिलता है कि बीमा पॉलिसी इस अध्याय की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए आवश्यक है और बीमा पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें उपरोक्त प्रावधान में उल्लिखित बीमा को कवर करना होगा । वर्तमान मामले में, बच्चू लाल को माल के मालिक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि फाइल पर कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि कोई सामान ले जाया जा रहा था।हालाँकि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुभाग 147 का पहला प्रावधान दावेदारों के बचाव में आता है। यह प्रावधान है कि यदि किसी कर्मचारी को रोजगार के दौरान वाहन में ले जाया जा रहा है, तो कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, 1923 (अब कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के रूप में पुनः नामित) के तहत उत्पन्न होने वाली देयता बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की जाएगी।इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान मामला मोटर वाहन अधिनियम की अनुभाग 147 के पहले अनुछेद / उपधारा के अनुभाग 'सी (ii) (i) में आएगा। इस न्यायालय ने इसी तरह की स्थिति पर विचार करते हुए, मोटर वाहन अधिनियम की अनुभाग 147 के प्रावधानों की व्याख्या उसी तरीके से की है, जैसा कि एफ. ए. ओ. No.6164/2013 (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरि शंकर और अन्य) 13.05.2016 के निर्णय में लिया गया था।

(15) यह न्यायालय भी उपरोक्त दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत है। इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, बीमा कंपनी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(16) चूंकि मुआवजे का आकलन कर्मचारी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (जिसे पहले कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता था) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है, इसलिए मृतक कर्मचारी के मासिक वेतन के 50 प्रतिशत को प्रासंगिक कारक से गुणा किया जाता था। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की अनुभाग 4 के अनुसार, मृतक की उम्र को देखते हुए, प्रासंगिक कारक 207.98 होगा। अतः देय मुआवजा Rs.3500x 207.98= 7,27,930/– तक होगी।

(17) दावा याचिका अर्थात एफ. ए. ओ. No.5052/2015 में प्रतिवादी संयुक्त रूप से और अलग अलग रूप से कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(18) परिणामस्वरूप, 2016 की अपील No.1550 को स्वीकार की जाती है, जबकि दावेदारों द्वारा वृद्धि के लिए दायर एफ. ए. ओ. No.5052/2015 को खारिज कर दिया जाता है।

एंजेल शर्मा

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

राजेश कपूर
2F16YW
ट्रांसलेटर